

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अषिसूचमा

नई दिल्ली, 5 जून, 2002

एं. एन. 10/12/2001-पी.पी.सी.--प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की छपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :---

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
 - (1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) [बढई, पेंटर, ड्राइवर, सहायक परिवहन पर्यवेक्षक और परिवहन सहायक पद] सेवा विनियम 2002 कहा जाएगा |
 (2)ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे |
- 2. विनियोग:- ये विनियम इसके साथ संलग्न अनुसूचि के में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।
- 4. <u>प्रारंभिक संघटन</u>:- इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय वरिष्ठ बढई, बढई, पेंटर, मोटर ड्राइवर [भारी वाहन] [ओबी वैन], ड्राइवर ग्रेड- 1, ड्राइवर ग्रेड- 11, ड्राइवर [साधारण ग्रेड], सहायक परिवहन पर्यवेक्षक, परिवहन सहायक इन विनियमों के लागू होने से पहले उनके द्वारा की गई सेवा अवधि को अगले उच्च ग्रेड में उनकी पदोन्नति आदि के लिए पात्रता के निर्धारण हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

1835 GI/2002

पद संख्या और वेतनमान -

उक्त पदों की संख्या तथा उनके वेतनमान वे होगें, जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम [2] और [3] में विनिर्दिष्ट हैं।

5. <u>भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -</u>

उपर्युक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अईताएं और संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 4 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

6. <u>अनर्हता -</u>

वह व्यक्ति -

- [क] जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या
- [ख] जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

7. शिथिल करने की शक्ति -

जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से आदेश द्वारा जक्त पदों के लिए आयु सीमा, रौक्षिक और अन्य अर्हताओं से संबंधित इन विनियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकेगा।

8. <u>रार्त</u>:-

इन विनियमों में कोई भी बात केन्द्र सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आखाण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है वो उसकी संरचना संरचना	11	 प्रसिक्षण हतु त आभियांत्रिकी), त आभियांत्रिकी), त आभियांत्रिकी), अध्वकारी अध्वकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी सत्तर का कोई बाह्य अधिकारी सत्तर का कोई बाह्य अधिकारी सत्तर का कोई बाह्य अधिकारी मनोनीत क्विया जाएगा।
गेड जिससे प्रोन्नति, आमेलन किया जाएगा	10	बर्बर्ड के गुड के पुस्टिकरण हतु- कर्मचारियों में सं _भ न. निदेशक जिल्होंने संबंधित (अभियात्रिकी), क्षेत्र में उक्त गेड आकाशवाणी- में तीन दर्ष की आधास संवा कर ली हो। -2. उप विकास संवा कर ली हो। -2. उप विकास अधाकारी या कार्यपालक *3. कार्यपालक मियंता या उसके समक्स स्तर का कोई बाह्य अधिकारी साम्प्र ना कोई बाह्य अधिकारी साम्प्र ना नोनीत स्रापा ना नानीती द्वाप मानोनीत किया जाएगा।
मती की पद्धति	o	75 प्रति श्रन्त प्रोन्नही स्रति 25 संसंध संसंध
परीवीस्ता अवधि यदि कोई हो	60	सीमी मती वर्ष वर्ष
क्या सीवी मर्ती किए जाने वाले जायु और मेसिक भ्रीक्रेक भ्रीक्रेक भ्रीक्रेक भ्रीक्रेक भ्रीक्रेक भ्रीक्रे भ्रीक्रेक भ्रीक्रेक भ्रीक्रिक	7	ធ្ រ ក
सीघी मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अमेखित क्लेसिक और अन्य अर्हताएं	6	
सीची भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	ۍ ا	2 से 30 वर्ष तक प्रिसार तिती के कर्मचारियों के लिए 5 मैं की घूट होगी। <u>उप्पणी:-</u> गुपु सीमा निर्धारित करने की जो जो उम्मीदवार्ये से आवेदन त्र हो जा परन्तु असम. तिख होगी परन्तु असम. ति के वम्बा जिलेक का देख के वम्बा जिलेक का हार्विप के उम्मीदवारों के लिए वार्तित अतिम तार्थेख को रिक्कर!
क्य चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	4	वयन
वेतनमान	6	, 4000- 6000/- स्क्र्मए
की संख्या	0	 4 * 17 [2001] * कार्यमार के आधार पर पारिवर्तन किया जा सकता है।
मद का नाम		

अनुसू<mark>च</mark>ी

[**भाग** III----खण्ड 4]

भा की भा की		ति में कि से कि सि कि कि सि कि कि सि कि
यदि विमातीय प्रीन्तति समिति है तो उसकी संरचना	11	रकरण हे. सिंह के
ग्रेड जिससे प्रोन्नति, आमेलन किया जाएगा	1	लागू नर्स होता
महीत पहाति	0	म सी म
पर्सवीक्षा अववि यो ते कोई	80	2 वर्ष
क्या सीमी भर्ती किए जाने वाले निर्वासित अक्रिताएं अक्रिताएं भ्रान्ति के मा लागू हॉगी	7	लागू नही
सीवी मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अन्य अईताएं अन्य अईताएं	9	मिकसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न बक्हीगेधी में बिप्लोमा तथा किसी मान्यता तथा किसी मान्यता तथा किसी मान्यता प्राप्त फर्म का अनुमय या किसी मान्यता प्राप्त फर्म का सरकाले संस्थान में 5 साल का बक्हीगिरी में करने का अनुमत। करने का अनुमत।
सोधी मती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा विवित्त के लिए आयु सीमा	5	5 18 से 27 वर्ष तक प्रसार मास्ती के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की घुट डोगी टिप्पणी:- आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख डोगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्रांत करने की अंतिम तारीख इंगी परन्तु असम, मेघालय, अल्गाचल प्रदेश, नियोरम मणीपुर, नागार्त्ल, त्रिप्रुप, सिर्विकम, हिमाचल प्रदेश का चन्द्रा जिली का लद्याख प्रमाग, अन्द्रमान निकोबार द्वीप समूह एव ल्याद्वीप के उम्मीदवार्स के लिए निर्धारित आतेम तारीख को छोस्ड्रकर।
स्य स्यन योग्यता के आचार पर होगा यो के आचार पर पर		तागू नहीं तागू नहीं
वेतन्मान	9	3050- 3050- 3350- 3350- 3350- 3350- 3350-
व मे संख्या	2	2 8-125 2003) स्वाचार पर संसितन किया है। संवरता है।
नाम नाम	-	- <mark>1</mark>

4

,

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART III---SEC. 4]

यदि विमानीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संस्ट ाना	11	पुष्टिकरण हेत्:- भा सहायक केन्द्र अमियंता, किन्द्र में सहायक केन्द्र कार्मयंता के उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्स्य के लिए निकटताम केन्द्र का सहायक केन्द्र निदेशका/ कार्यक्रम निद्धाका/ कार्यक्रम निद्धाका/ कार्यक्रम निद्धाका/ कार्यक्रम सिरस्य सारस्य आधिकारी/ प्रधान लिपिक- सदस्य
गेड जिससे प्रोन्नति, आमेलन किया जाएगा		लागू नहीं
मती की पद्धति	6	बा स सी सी स
परीवीस्ता अववि कोई हो	8	2 वर्षे
बया सीषी मती किए जाने वाले जिस् लिस लिस लिस शिक श्रीक्षेक श्रीक्षेक श्रीक्षेक श्रीक्षेक श्रीक्षेक श्रीक्षेक श्रीत्वी सीम सीम सीम सीम सिम सिम सिम सिम सिम सिम सिम सिम सिम सि	7	आग नहीं आग नहीं
सीम्री मती किए जाने वाले व्यक्तिय मैश्विक और अन्य अर्हताएं और अन्य अर्हताएं	9	समी प्रकार के विवरणों क परिष्कारक पेंटर के रूप में तीन वर्ष का अनुमव होना चहिए। अनुमव होना चहिए।
सीच्ची मर्ती किए आउ सीमा व्यक्तियों के लिए आउ सीमा	S	18 से 27 वर्ष तक प्रसार मास्ती के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की घूट होगी। टिप्पणी:- आयु सीमा निर्धासित करने की निर्मायक तारीख वह तारीख होगी जो जम्मीदवारों से आवेदन पत्र ब्रोगी परन्तु असम, तारीख होगी परन्तु असम, तारीख होगी परन्तु असम, तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरुआपचल प्रदेश, मेघालय, अरुआपचल प्रदेश, मेघालय, अरुआपचल प्रदेश, मेघालय, अरुआपचल प्रदेश, निर्धास के जम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़करा।
क्य चयन ओम्यता के आम्रार पर होगा या वरिष्ठता के आम्रार पर	4	आ न हे
वेतनमान	e	3050- 75- 4590/- • 한다.
भ संख्या	2	*68 [2001] *कार्यसार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। जा सकता है।
म स नाम		म्

यदि दिमागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरच ाना	11	संबंधित पुष्टिकरण हेतु:- स्थान प्रक्र ति केन्द्र निदेशक] - स्थित प्रसार अध्यक्ष मास्ती 2. सहायक केन्द्र कार्यलयों के निदेशक - सदस्य द्राहवरों की 3. परिवहन विमाग मोटर चलाने का एक प्रतिनिधि को परीक्षा [पिसे केन्द्र निदेशक लेकर द्वारा मनोनीत किया प्रोन्नति । जाएगा] - सदस्य प्रोन्नति । जाएगा] - सदस्य
गेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति आमेलन जाएगा जाएगा		संबंधित स्थान पत्नर स्थान पत्नर स्थान प्रसार स्थान प्रसा कार्यन को परीसा होत्तर प्रोन्नति। प्रोन्नति। प्रोन्नति। जाएगा भ
मती की महति महति	6	प्रोच्चति द्वारा संसीती हारा हारा हारा स
परीवीस्ता अ वाति कोई हो कहें हो	8	सीधी सितीं के वर्ष 2
क्या सीमी मती किए जाने वाले विम्नति तिमति शि श्री श्री श्री भी लाग भी लाग होगी	2	Ť.
सीवी मती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित सैक्षिक और अन्य अईताएं	9	अग्नियार्थः अग्नियार्थः तीन से पांच टन का स्थायी वैद्य लाइसंस होना चाहिए। मोटर ब्लान् वाहिए। मोटर और मोटर यांत्रिकी ब्ला झान तथा हल्के एवं भारी वाहन का अन्युमव होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए।
सीची मती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 	S	26 से 30 वर्ष तक प्रसार मास्ती के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की घूट होगी। टिप्पणी:- आयु सीमा निर्घासित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेचालय, अस्लाचल प्रदेश, मेचालय, सेंग प्रस्तु एव लक्षाह्रीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को मिर्धारित अंतिम तारीख को मिर्धारित अंतिम तारीख को
क्या चयन धोग्यता के आधार पर होगा या के आधार पर	4	चयन जैसा कि कॉलक 10 मे प्रावधान है।
वेतनमान	n	3050- 75- 4590/- स्म्राए
म संख्या	α.	*668 (2007) * कार्यार पर आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
मद छ नाम्	-	मोटर सिस्ये सिम्ने अववर्

<u>6</u>

.

विमागीय समिति ह उसकी		 मेर्ग्स् केन्द्र केन्द्र आमियंता के उपलब्ध म होने की स्थिति में कार्रवाई की अध्यक्षता करने के लिए मिकटत्तम केन्द्र का केन्द्र अमियंता] - अध्यक्ष केन्द्र अमियंता] - अध्यक्ष केन्द्र अमियंता] - अध्यक्ष केन्द्र अमियंता] - अध्यक्ष्म निष्पात्तक या संबंधित निष्पात्य में समान गेढ का अधिकारी- मेतदस्य आसत्प्य आसान तिपिक सदस्य तिपिक सदस्य
यदि भ्रोत्नति संस्वना	11	 भीमयंता, कि अमियंता, कि अमियंता के सं अभियंता के सं करने की अध् करने की अध् करने की अध मकरता की तेष्प्रकार का तिपिक सदस्य तिपिक सदस्य तिपिक सदस्य
गेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	10	स्टाफ कार ड्राइवर गेड- 11 के स्ल में छह वर्ष की नियमित सेवा वाले अथवा गेड-11 और साधारण गेड दोनों को मिलाकार 15 वर्ष की सेवा वाले स्टाफ कार ड्राइवर गेड-11 और 2. परन्तु श्वतं यह है कि निम्नलिखित पर आधास्ति व्यावहारिक परीक्षा पास कर ले- 1. अंग्रेजी श्वहों और अंकों को पढने की योग्यता होनी चाहिए। 2. यातायात के नियमों का पूर्ण ड्रान घाहिए। 3. डीजल और पैट्रोल हीजिन की कार्य प्रणती के बारे में अच्छ ड्रान होना चाहिए । 3. डीजल और पैट्रोल हीजिन की होना चाहिए तथा खयदियों का होना चाहिए तथा खयदियों का होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी साहिए। होनी साहिए। होनी साहिए। होनी साहिए। होनी साहिए। होनी साहिए। होनी साहिए। होनी साहिए।
मती की महति की	თ	100 प्रोन्नति द्वरप
परीवीसा अवधि यदि कोई हो	α.	ला गू न ही
क्या सीधी मर्न्या सीधी जिस् किए जिस् किए जिस् कि जीत जीत जीत कि कि जीत जीत कि कि जीत जीत कि कि जीत जीत कि कि जीत जीत कि जीत कि जिन कि जीत कि जीत कि जीत कि जीत कि जीत कि जीत कि जीत जिन जिन जिन जिन जिन जिन जिन जिन जिन जिन	7	नही
सीची मती किए जाने जित्त के आधिक और अस्ताए अस्ताए अस्ताए	9	नहीं -
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 म
सीमी किए बन्दि सिमा अपिमा	£	लागु
क्या चयन ओषार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	4	<u>अचयन</u> अ
देतन मान	¢	4000- 100- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
मर्ते के संख्या	2	 * 159 [2002] *कार्यमार कं आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
पद का नाम	-	जूहवर गेड- ।

.

·		/ <u></u>
विभागाव समिति क उसकी		 सहायक केड्र आमियंता, किंड्र में सहायक हपलम् म होने की रिखाति में कार्स्याई की अध्यक्षता करने के लिए मिकटतम केड्र का सहायक केड्र आमियंता, अध्यक्ष सहायक केड्र आधिकारी, अध्यक्ष आधिकारी, अध्यक्ष आधिकारी, अध्यक्ष आधिकारी, अध्यक्ष आधिकारी, अध्यक्ष आधिकारी, अध्यत्व आधिकारी, अध्यत्व आधिकारी, अधान आधिकारी, अधान तिपिक- सदस्य तिपिक- सदस्य
42 F	Ŧ	 सहायक केन्द्र अमियंता, किन्द्र में सहायक उपलब्ध कार्रवाई की अध्यक्षती किरते के लिए किरने के लिए किरने के लिए किरने के लिए किर्मिक सिखात कार्यात्वय सहायक केन्द्र का सहायक केन्द्र का अधिकारी, प्रधान लिपिक- सदस्य लिपिक- सदस्य
गेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति। यादे आमेलन किया जाएगा तो संस्थ		9 वर्ष की सेव र यह के कि म यह के कि म यह को कि भी चाहिए। नियमों का पूर्ण नियमों का पूर्ण ति को देख ति को देख ति चाहिए। योग्यता होनी योग्यता होनी
गेड जिस आमेलन f	ő	 मूल गुढ मे वाला ड्राइवर वाला ड्राइवर भिम्नलिखित निम्नलिखित निम्नलिखित यावहारिक परीक्षा पढ़ने की थोगयता ह ड्रान होना चाहिए। 3. खरबे की योगयता ह ड्रान होना चाहिए। 3. खरबे की योगयता ह करने की योगयता ह
मती की पद्धति	Ø	100 प्रोतिश्वत द्वार्ध
परीवीसा अवदि यदि कोई हो	8	सम् भूम स्
क्या सीवी मर्ता किए जाने वाले निर्धारित निर्धारित भिर्धारित अहिताए अहिताए भानति के मामलों मे हांगी लागू	7	अं ष्ठ न
सीबी मती किए जाने बाले जाने अप्रेक्षित अप्रेक्षित अस्ताएं अस्ताएं	9	न्द्र न जाम
सीची सिंग मती विस् से से सीमा सीमा सीमा सीमा सिंग से सीमा सीमा सीमा सिंग से सिंग सिंग सिंग सिंग सिंग सिंग सिंग सिंग		ឈ្ ^ជ ក
स्य संक स्वयं च संक	u)	के आधार के आधार पर चयन चयन
	4	
मान पुष्प	ю	4 1 2 00 4 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1
म् स स दिव्य	2	* 199 (2002) *कार्यमार के आवार पर जा सकता है। जा सकता है।
पद का नाम की संख्या	-	ब्राहवर गे ड ।।

۰.

THE GAZET FE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III--SEC. 4]

111		<u>राजपत्र : असाधारण </u>
यदि विमागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना संरचना	11 मुस्टिकरण हेवु :	 संहायक केन्द्र में आमियंता, किन्द्र में सहायक केन्द्र में आमियंता के उपलब आमियंता के उपलब कार्शवाई आधासता करने के लिए निकत्तम केन्द्र आधासता करने के लिए निकत्तम केन्द्र आधिप्रता। अध्यक्ष में का आधासता आधासन आधासन आधासन आधासन आधासन आधासन आधासन आधासन आधासन आधासन आधासन आधासन आधासन आधासन आधासन
रोड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुद्धित क्रिया जाएमा	10	लागू न हो
मर्ती की पद्धति	თ	1000 प्रतिश्वत प्रोन्नति द्वार्थ में कार्यरत नियमित को वधीयता को बसे से उपसित उपसित द्वा तो मती रोजनार हो तो मती हो तो मती खारा की जाएगी '
परीवीस्ता अवधि यदि कोई हो	00	2 दर्ष
बया सीधी मती किए जाने वाले लिए निर्वातित भित्ति निर्वाति असिक असिक असिक असिक भित्ति भित्ति भित्ति भित्ति भित्ति भित्ति भित्ति भित्ति नित्त नित्ति नित्ति नित्त नित्त नित्ता नित्ति नित्त्त नित्त्त नित्त नित	2	संग भूग संग संग संग संग
सीधी मती किए जाने वाले यक्तियों के लिए अपेक्षित श्रेसिक और अन्य अहंताएं	ß	अनियार्य ततीण होना चाहिए । सोटर यांत्रिकी का ज्ञान होन चाहिए । होना चाहिए होना चाहिए
सीधी मती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	Ω.	18 से 27 वर्ष तक प्रिसार सारती के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी। टिप्पपी:- ट्रायु सीमा निर्धारित करने डा निर्णायक तासीख वह तर्राय होगी। परन्तु असम तारां करने की आंतिम तारां के तिम् होप समूह एवं लसद्वीप के उत्मीतवारों के लिए निर्धारित आंतिम तारीख की छोडकर ।
बया चयन योग्यता के आधार पर होगा या बरिष्ठता के आधार पर	4	् अन्ति भूम भूम भूम भूम भूम भूम भूम भूम भूम भूम
वेतन	р.	3050- 75- 860-80- रस्मए
की संख्या	2	* 796 [2002] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकेता है। जा सकेता है।
यद को नाम म	F	द्धाइवर ग्रेड]

1835 GI/2002-2

[भाग III--खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

10 THE GA	ZETT	E OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
यदि दिमागीय प्रोन्नति समिति है संरचना संरचना	11	पुष्टिकरण के लिए भारिपंता, किन्द्र में साहायक केन्द्र समियंता के समयंता करने स्थिति में कार्रवाई स्थिति में कार्रवाई किन्द्र का सहायक केन्द्र का सायका का का का का का का का का का क
ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुद्धित/ आमेलन किया जाएगा	10	परिवहन सहायक के ग्रेड में तीन वर्ष की सेदा वाले परिवहन सहायक म
मर्ती की महत्ती न	თ	100 प्रविश्वत प्रोन्नति द्वाय होने पर द्वाय द्वाय
मरीवीसा अवधि यदि कोई हो	80	सोधी मती से के जिस देखें ति स
स्या सीची मती किए जिन्दी किए तिहास सिकिक आदि सिकिक सिकिक सिकिक सिकि सिकिक सिकि सिके सिके	7	स्र
सीची मर्ती किए जाने वाले व्यक्तित्यों के लिए अपैक्षित श्रीक्षिक और अन्य अर्हताएं और अन्य अर्हताएं	G	1. मंदिक या समकक्ष समकक्ष समकक्ष में भोत सिनट को गति से टाइ-िंग का झान होना चाहिए 111 मोटर कार के मैं केनिजम तथा खान होना चाहिए। झान होना चाहिए।
सीवी मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	, U	18 से 25 वर्ष तक ाप्रसार भारती के कर्म का द्रारियों के लिए 5 वर्ष की कुट होगी। टिप्पणी:- आगु सीमा निर्धासित करने की निर्णायक तारीख वह तासीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने औतम, सेमातवरी, से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, से अलेक्म, हिमाचल प्रदेश, सितिकम, हिमाचल प्रदेश, सितिकम, हिमाचल प्रदेश, तिए समूह एव लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के तिए निर्धासित अतिम तारीख को छोड़कर।
दम्या चयन आधार आधार होग्गा या वरिष्ठता पर आखार पर	4	र स्र अ
वेतन मान	e	44.60- 100 - 6000- 23542
की संख्या	2	 * 1 [2002] * कार्यमार के आधार पर परिसर्तन किया जा सकता है !
पद का नम	-	मरिवहन सहायक प्रयेवेक्षाक

यांदे दिमागाय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरह ाना	11	पुष्टिकरण के लिए 1. सहायक केन्द्र सहायक केन्द्र सहायक विजयमता करने के लिए करने के लिए करने के लिए करने के लिए करने के लिए मिकटताम केन्द्र का सहायक केन्द्र तितेराकत केन्द्र ति सातकत केन्द्र ति सातकत केन्द्र ति सातकत केन्द्र ति सातकत किन्द्र ति सातकत केन्द्र ति सातकत केन्द्र ति सातकत केन्द्र ति सातकत केन्द्र ति सातकत नि सातकत ति सातकत नि सातकत
ग्रेड जिससे प्रोलिगुद्धित/ आमेलन किया जाएगा		े <u>स</u> ्त <u>म</u> ्त <u>म्</u> म् •
भरती की पद्धति	6	100 प्रतिश्व सीकी मन्द्र यार्थ
परीवीसा अवति यदि कोई हो	ø	2 वर्ष
म्ह्या सीवी मर्ता विरुप् मर्ता विरुप् भित्रतिप आखि आखि आखि आदि मामलों में सामलों में मी	7	
सीची मती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित श्रीक्षिक और अन्य अर्हताएं अर्हताएं	9	 मंट्रिक या समक्स समक्स समक्रि बित्रीय माना मे, 30 राह्य से टाइपिंग का जनुमद होना चाहिए ॥।। परिवहन कार्य मे अनुमद होना चाहिए ।
सीची म्तती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	ŵ	18 से 25 वर्ष तक प्रसार सारती के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की घूट होगी टिप्पणी:- आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी परन्तु असम, मात करने की अतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघातय, अस्थापन प्रदेश, मिजोरम मणीपुर, नागार्त्त, निर्जास माग, अन्हमान लयद्वीप के उम्भीख्य, 4 लिए निर्धारित अतिम तारीख को छोड़कर।
क्या चयन योग्यता के क्षोत्ता के दारेष्ठता के आवार पर आवार पर	4	<u>लान</u> नर्स न
वेतन मान	m	3050- 75- 4590/- 전제(7
र्स स संख्या	2	* 3 [2002] *कार्यप्र परिवर्तन विध्या जा सकता है
यत् का नाम		मरिवहन सहायक

के. एस. सर्मा, कार्यकारी सदस्य [विद्यापन III/IV/163/2002-अस्त.]

rł,

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2002

No. N-10/12/2001-PPC.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of subsection (2) of Section 33 read with sub-section (2) of Section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

- Short title and commencement : (i) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Carpenter, Painter, Driver, Assistant Transport Supervisor and Transport Assistant Posts) Service Regulations, 2002.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application : These regulations shall apply to the posts specified in the Schedule annexed hereto.
- 3. Initial Constitution : All persons appointed at the commencement of these regulations holding the posts of Senior Carpenter, Carpenter, Painter, Motor Driver (Heavy Vehicle) (O.B. Van Driver), Driver Grade I, Driver Grade II, Driver (Ordinary Grade), Assistant Transport Supervisor and Transport Assistant on regular basis and who have opted for transfer of their services to the Corporation, shall be deemed to have been appointed as such under these regulations. The service rendered by them before the commencement of these regulations shall be

taken into account for the purpose of confirmation, deciding the eligibility to the next higher grade and pension.

- 4. Number of posts and scales of pay: The number of posts and their scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) and (3) of the Schedule aforesaid.
- 5. Method of recruitment, age limit, qualification, etc. : The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in the columns 4 to 11 of the said Schedule.
- 6. Disqualification : No person-
 - (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule with prior approval of the Central Government.

- 7. Power to relax : Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, with the prior approval of the Central Government relax any of the provisions of these regulations relating to age limit, educational and other qualifications and minimum qualifying service with respect to any class or category of persons or posts.
- 8. Saving: Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the scheduled tribes, Other Backward Communities, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time.

SCHEDULE

Nume of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection- cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/ absorption to be made.	If Departmental promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Senior Carpenter	*17 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	Rs. 4000- 100- 6000/-	Non- selection.	Between 22-30 years (relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). <i>Note</i> : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	A certificate of competency or a diploma in carpentry from a recognized Institute with experience of at least two years in a recognized firm or Government Institution . or Five years skilled experience in carpentry in a recognized firm/ Government Institution.	No.	Two years for direct recruits.	75% by promotion. 25% by direct recruitment	From the grade of Carpenter with three years service in the grade in the zone.	 *1. Director (Engineering), Akashvani - Chairman *2. Deputy Development Officer (Administration) Member *3. An outside member of the rank of executive Engineer or equivalent - Member * To be nominated by Engineer-in- Chief, Akashvani.

,

post po	o. of osts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection- cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion / absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
Carpenter (20 + to van dep on	002) Subject triation pendent	(3) Rs.3050- 75-3950- 80- 4590/-	(4) Not applicable	(5) Between 18-27 years (relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). <i>Note</i> : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(6) A diploma in carpentry from a recognized Institution with experience of at least two years in a recognized firm or gGvernment Institution or Five years skilled experience in carpentry in a recognized firm/ Government Institution.	(7) Not applicable	(8) Two years	(9) Direct Recruitment	(10) Not applicable	 (11) For confirmation 1. Assistant Station Engineer (In case of non-availability of Assistant Station Engineer at the station to chair the proceedings Assistant Station Engineer of the nearest station) - Chairman 2. Assistant Station Director/ Programme Executive or Officer of the equivalent grade in the respective officer/Head Clerk – Member.

भाग [[[--खण्ड 4]

||ដ

Nause of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection- cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion / absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1) 3. Painter	(2) *68 (2002)	(3) Rs.3050- 75-3950-	(4) Not applicable	(5) Between 18-27 years (relaxable	(6) Should have three years of	(7) Not applicable	(8) Two years	(9) By Direct Recruitment	(10) Not applicable	(11) For confirmation: 1. Assistant Station
	* Subject to variation dependent on workload	80- 4590/-		upto five years for employees of Prasar Bharati). <i>Note</i> : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	experience as polisher painter of all description.					Engineer (In case of non-availability of Assistant Station Engineer at the station to chair the proceedings Assistant Station Engineer of the nearest station) - Chairman 2. Assistant Station Director/ Programme Executive or Officer of the equivalent grade in the respective office – Member 3. Administrative Officer/Head Clerk – Member.

.

-

16

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

•

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection- cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/ absorption to be made.	If Departmental promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4. Motor Driver (Heavy Vehicle) (O.B. Van Driver)	*668 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	Rs.3050- 75-3950- 80- 4590/-	Selection (as provided in col. 10)	Between 26-30 years (relaxable opto five years for employees of Prasar Bharati). <i>Note:</i> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Essential: Should be in possession of a permanent valid license for driving vehicles of three to five tons. Should also possess professional skill in driving and knowledge of Motor Mechanism and experience of driving light and heavy Motor Vehicles. Desirable: Middle school standard pass.	Yes	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion through a test in driving from amongst drivers of Prasar Bharati offices located at the place.	 Station Director – Chairman. Assistant Station Director – Member. A representative of Transport Department (To be nominated by Station Director) - Member.

Nume of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection- cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of - recruitment	promotion/ absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1) 5. Driver Grade-I	(2) * 159 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	(3) Rs.4000 -100- 6000/-	(4) Non- selection.	(5) Not applicable	(6) Not applicable	(7) No	(8) Not applicable	(9) 100% by promotion	 (10) Staff Car Driver Grade- II with six years' of regular service in the grade or a combined service of fifteen years in Grade-II and Ordinary Grade put together. AND Subject to pass the practical test based on the following:- i) Must be able to read English Numerals and figures. ii) Must have thorough knowledge of Traffic Regulations. iii) Must have good knowledge of Petrol & Diesel Engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects. iv) Must be able to clear carburetor, plus etc. 	 (11) 1. Station Engineer (In case of non-availability of Station Engineer at the station to chair the proceedings, Station Engineer of the nearest station) - Chairman 2. Assistant Station Director/ Programme Executive or equivalent grade in the respective office -Member. 3. Administrative Officer/ Head Clerk -Member.

Neune of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection- cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/ absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1) 6. Driver Grade- II	(2) *199 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	(3) Rs.4000 -100- 6000/-	(4) Selection by seniority.	(5) Not applicable	(6) Not applicable	(7) No	(8) Not applicable	(9) 100% by promotion	 (10) 1. Driver with nine years service in the basic grade AND 2. Further subject to pass the practical test based on the following:- i) Must be able to read English Numerals and Figures. ii) Must have through knowledge of Traffic Regulations. iii) Must be able to locate faults and rectify minor running repairs. iv) Must be able to change wheels and correctly inflate tyres. 	 (11) 1. Assistant Station Engineer (In case of non- availability of Assistant Station Engineer at the station to chair the proceedings, Assistant Station Engineer of the nearest station) – Chairman 2. Programme Executive or Officer of the equivalent grade in the respective office – Member. 3. Administrative Officer/ Head Clerk –Member.

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection- cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/ absorption to be made.	If DPC exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7. Driver (Ordinary Grade)	*796 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	Rs.3050 -75- 3950- 80- 4590/-	Not applicable	Between 18-27 years (relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). <i>Note</i> : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Essential: (i) 8 th standard pass. (ii) knowledge of motor mechanism. (iii) Holder of a valid	Not applicable	Two years	100% by direct recruitment. Preference will, however, be given to regularly appointed employees in Prasar Bharati. In case of non- availability of suitable persons from amongst them, recruitment will be made through Employment Exchange.	Not applicable	For confirmation: 1. Assistant Station Engineer (In case of non- availability of Assistant Station Engineer at the station to chair the proceedings, Assistant Station Engineer of the nearest station) – Chairman 2. Assistant Station Director/ Programme Executive or Officer of the equivalent grade in the respective office –Member. 3. Administrative Officer/ Head Clerk –Member.

8

.

	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection- cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/ absorption to be made.	If Departmental promotion Committee exists, what is its composition
Assistant	(3) Rs.4000 -100- 6000/-	(4) Non- selection.	(5) Between 18-27 years (relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). <i>Note</i> : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands		(7) No	(8) Two years for direct recruitment	(9) 100% by Promotion, failing which direct recruitment.	(10) Transport Assistant with three years service in the grade.	 (11) For confirmation: 1. Assistant Station Engineer (In case of non- availability of Assistant Station Engineer at the station to chair the proceedings, Assistant Station Engineer of the nearest station) – Chairman 2. Assistant Station Director/ Programme Executive or Officer of the equivalent grade in the respective office –Member. 3. Administrative Officer/ Head Clerk –Member.

[भाग III — खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

Name No. of of post posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection- cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitmen t	Grade from which promotion/ absorption to be made.	If Departmental promotion Committee exists, what is its composition
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9 * (2002 Transport Assistant * Subject to variation dependen or. workload	3050- 75- 3950- 80- t 4590/-	Not applicable	Between 18-25 years (relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). <i>Note</i> : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	 (i)Matriculation or equivalent (ii) Knowledge of typewriting at a speed of 30 words per minute. (iii) Experience of transport work. 	Νο	Two years	By direct recruitment (100%)	Not applicable	For confirmation: 1. Assistant Station Engineer (In case of non- availability of Assistant Station Engineer at the station to chair the proceedings, Assistant Station Engineer of the nearest station) – Chairman 2. Assistant Station Director/ Programme Executive or Officer of the equivalent grade in the respective office – Member. 3. Administrative Officer/ Head Clerk – Member.

K. S. SARMA, Executive Member [ADVT III/IV/163/2002-Exty.]

THE GAZETTE OF INDIA · EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

1

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. -

-